FAX/EMAIL

आदेश

बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना द्वारा संविदा चालकों की नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–2401, दिनांक–18.07.07 के आलोक में संविदा चालक सिपाही के 610 पदों के लिए विज्ञापन सं0–01/2010 प्रकाशित किया गया था।

विज्ञापन संख्या–01/2010 की कंडिका–11 में यह स्पष्ट उल्लेख था कि संविदा के आधार पर की गई सेवा अन्य उदेश्यों के लिए सरकारी सेवा नहीं मानी जाएगी तथा नियुक्ति की तिथि के 11 (ग्यारह) माह के पश्चात् सेवा स्वतः समाप्त हो जाएगी।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–03/एम–78 2005–का.–2401/पटना, दिनांक–18.07.2007 के **Annexure-1** में प्रावधानित था कि संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति को निर्धारित विहित प्रपत्र में एकरारनामा करना अनिवार्य होगा।

उक्त एकरारनामा की कंडिका–09 में उल्लेखित है कि इस प्रकार का नियोजन संविदा अवधि (कांट्रेक्ट पीरियड) समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह की संविदा राशि एकमुश्त देकर समाप्त की जा सकेगी।

संविदा चालकों की नियुक्ति प्रारंभ में 11 (ग्यारह) माह के लिए की गयी थी। कालांतर में आवश्यकता अनुरूप प्रशासी विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर इनकी संविदा अवधि का विस्तार होता रहा। अन्तिम बार गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना का आदेश ज्ञापांक–1181/पटना, दिनांक–05.02.2019 के आलोक में विज्ञापन सं0–01/2018 के अन्तर्गत चालक सिपाही के पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए विस्तारित किया गया था। विज्ञापन सं0–01/2018 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के योगदान देने की अन्तिम तिथि–25.03.2019 निर्धारित की गयी थी।

प्रशासनिक आवश्यकता एवं कार्यहित में पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या–16/पी०–04, दिनांक–17.01.2020 द्वारा विज्ञापन सं०–05/2019 के अन्तर्गत 1722 चालकों की नियुक्ति होने तक के लिए संविदा अवधि के विस्तार का अनुरोध गृह विभाग (आरक्षी शाखा) से किया गया था, परन्तु इस संबंध में गृह विभाग (आरक्षी शाखा) से प्रत्युत्तर अप्राप्त रहा।

इस बीच विज्ञापन सं०–05/2019 के अन्तर्गत चालक सिपाही के कुल 1722 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन रहने तथा निकट भविष्य में 1722 चालक सिपाही की उपलब्धता को देखते हुए संविदा विस्तार की आवश्यकता नहीं रहने के कारण पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या–106/पी०–04, दिनांक–15.06.2021 द्वारा संविदा चालकों की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या–01/2010 की कंडिका–09 में अंकित एकरारनामा के शर्त के अनुसार एक माह का नोटिस देते हुए दिनांक–31.07.2021 के बाद इनकी संविदा समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

पुलिस मुख्यालय के उक्त आदेश के विरूद्ध याचिकाकर्त्ता गौरी शंकर शर्मा एवं अन्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–13895/2021 दायर किया गया, जिसमें दिनांक–16.05.2024 को न्यायादेश पारित किया गया, जिसका प्रभावी अंश निम्नवत् है:–

"......The Respondent Nos. 2, 3, 5 and 6 are directed to regularize the service of the Petitioners who were appointed on contractual basis in the year 2010 in the light of the observation made here in above with effect from 12th October, 2018.

The order bearing Memo No. 106, dated 15th of June 2021 issued by the Assistant (Welfare) Director General of Police, Bihar is quashed and set aside."

तत्पश्चात उक्त पारित आदेश के विरूद्ध विद्वान महाधिवक्ता, बिहार महोदय से प्राप्त परामर्श के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एल०पी०ए० सं०–1123/2024, दिनांक–28.10.2024 दायर किया गया। इसी बीच याचिकाकर्ता एवं अन्य के द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० संख्या–13895/2021 में दिनांक–16.05.2024 को पारित न्यायादेश का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण माननीय उच्च न्यायालय, पटना में MJC No.-3171/2024 (Arising out of CWJC No.-13895/2021) गौरी शंकर शर्मा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया, जिसमें दिनांक–13.12.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना से प्राप्त मार्गदर्शन के आलोक में पुलिस मुख्यालय का आदेश–सह–पत्र सं०–14/पी०–04, दिनांक–20.01.2025 के द्वारा सभी सेवामुक्त संविदा चालकों को पुनः संविदा के आधार पर अगले 11 माह के लिए सेवा में लेते हुए उन्हें दिनांक–22.01.2025 से दिनांक–23.01.2025 तक संबंधित जिला/इकाई में नियुक्त करने का आदेश दिया गया। साथ ही यह भी आदेशित किया गया कि उक्त आदेश माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर एल०पी०ए० सं०–1123/2024 में पारित न्यायादेश से प्रभावित होगा।

इसी क्रम में एल०पी०ए० सं०–1123/2024 (CWJC No.-13895/2021 से उत्पन्न) में दिनांक–03.03.2025 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया है:–

"With this new revelation by Mr. Y.V. Giri about most of the respondents having upgraded their qualification to+2, the threshold minimum qualification for appointment of a regular Sepoy Driver, the learned Advocate General seeks some time to take instructions whether with this

fact, a decision could be taken to regularize the services of the respondents, especially in view of the fact that they have been working since 2010 against sanctioned and vacant posts and their engagement was only after screening of their ability as Drivers.

उक्त पारित न्यायादेश के विरूद्ध पुलिस मुख्यालय स्तर से पूरक प्रतिशपथ-पत्र दायर किया गया। ततपश्चात माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एल०पी०ए० सं०-1123/2024 में दिनांक-25.03.2025 को निम्न आदेश पारित किया है:-

"....... that the services of the writ petitioners/ respondents who have currently passed 12th examination would be regularised, subject to the availability of sanctioned posts. With respect to those who have only a degree of 10th would be permitted to upgrade their academic qualification and obtain degree of Intermediate within five years of their contractual service, whereafter they would also be regularised. If the academic qualification is not upgraded by anyone of them, even then they would not be removed from service but would continue as contractual Drivers/Constables up to the age of superannuation of 60 years.

While regularising the services of the writ petitioners/respondents, the afore-noted assertion shall be verified and only thereafter necessary order shall be passed.

The appeal stands disposed off.

Interlocutory application, if any, shall stand closed."

अतः उपर्युक्त एल०पी०ए० में पारित न्यायादेश के आलोक में सभी याचिकाकर्ताओं को निम्नलिखित शर्तो के तहत नियुक्त करने का आदेश दिया जाता है:-

1. जो याचिकाकर्ता वर्तमान में 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण हैं, उन्हें दि०-1.5.25 से दि०-15.5.25 तक संबंधित जिला/इकाई में स्थायी रूप से नियुक्त करने का आदेश दिया जाता है।
2. वैसे याचिकाकर्ता जो वर्तमान में केवल 10 वीं परीक्षा उत्तीर्ण हैं, उन्हें संविदा चालक के रूप में ही 60 (साठ) वर्ष की सेवानिवृति की आयु तक नियुक्त करने का आदेश दिया जाता है तथा उन्हें संविदा सेवा के 05 (पाँच) वर्ष के भीतर 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने का अवसर दिया जाता है। 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात उन्हें भी नियमित किया जायेगा।
3. यदि वे 05 (पाँच) वर्ष के अन्दर 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते है तो उन्हें पद से हटाया नहीं जाएगा बल्कि 60 (साठ) वर्ष के सेवानिवृति की आयु तक संविदा चालक सिपाही के रूप में कार्य करते रहेंगे।
4. सभी नियुक्ति प्राधिकार उक्त आदेश का अनुपालन करने से पूर्व याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गये सभी दस्तावेजों के सत्यापनोपरान्त नियुक्ति आदेश निर्गत करेंगे।

29/04/25

पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना

पत्र संख्याः-पी0-4/04-01-39-2024/ 60

बिहार पुलिस मुख्यालय

(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)

पटना, दिनांक- 30.04.2025

प्रतिलिपि:-

1. **सभी महानिदेशक, बिहार** को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. **सभी अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार** को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. **सभी पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक, बिहार** को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. **सरकार के अवर सचिव, गृह विभाग** (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
5. **सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक** (रेल/इकाई सहित), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
6. **सभी समादेष्टा, बिहार/पुलिस उपाधीक्षक**, पुलिस परिवहन मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

29/4/25

पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना